

जाति संशोधन हेतु आवेदन पत्र

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

2022/304 ✓

विषय:- जाति संशोधन नाम चमार के बजाय बैरवा दर्ज करवाने बाबत ।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी श्री रामदेव

पिता बाधु जाति बैरवा निवासी कोरडा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। प्रार्थी की जाति ग्राम कोरडा पटवार मण्डल कोरडा के खाता संख्या 478 में चमार दर्ज है, जबकि मेरी वास्तविक जाति बैरवा है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक पं.05(8) राज.-प./83/राज-6/96/जयपुर दिनांक 01-11-1996 से जाति शुद्धि करने के स्पष्ट आदेश है। अतः प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार के बजाय बैरवा दर्ज करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

रामदेव

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू अभिलेख निरिक्षक

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड श्री रामदेव पिता बाधु की ग्राम कोरडा प0म0 कोरडा के खाता संख्या 478 में जाति चमार दर्ज है, जबकि आवेदक की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः प्रार्थी की जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
पटवारी मण्डल कोरडा
23-8-2022
प0म0 कोरडा

वृत्त
23-8-2022
मू0अ0न0
वृत्त कोरडा

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. के प्रार्थी श्री रामदेव पिता बाधु की ग्राम कोरडा प0म0 कोरडा के खाता संख्या 478 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने की सिफारिश की जाती है ।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसीलदार (भू.अ.)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

आदेश

23/8/22
24/6/22

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शाहपुरा की अभिषंशा के प्रार्थी श्री रामदेव पिता बाधु की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः ग्राम कोरडा प0म0 कोरडा के राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 478 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश दिया जाता है। अतः तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)